माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा – 2014

''अनुदेश – पत्र''

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश एवं आवश्यक सूचनाएँ

Website : www.rajeduboard.nic.in

परीक्षार्थ आवेदन करने की अन्तिम तिथियाँ एवं परीक्षा शुल्क

	अन्तिम तिथि	देय परीक्षा शुल्क
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	21 अगस्त, 2013	रु. 500 / –
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	05 सितम्बर, 2013	रु. 1000 / –
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000 / – सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500 / – (जिला मुख्यालय पर एक)

प्रायोगिक परीक्षा शुल्क : रु. 50/- प्रति प्रायोगिक विषय (परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त)

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण एवं शुल्क जमा कर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिए

1. सामान्य परीक्षा शुल्क	07 अक्टूबर, 2013	रु. 500 / –
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	14 अक्टूबर, 2013	रु. 1000 / –
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000 / – सहित	30 नवाम्बर, 2013	रु. 1500 / – (जिला मुख्यालय पर एक)

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र बाबत निर्देश :-

- सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक – 100 / – रुपये
- दोगुन पर परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक – 200 / – रुपये
- असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक – 300 / – रुपये
- विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो 500 / – रुपये
- उपरोक्त व्यवस्था के अलावा कोई विद्यालय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से कक्षा 10 / 11 उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11 / 12 में बिना पात्रता प्रमाण–पत्र के प्रवेश देता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी (1000 / – रुपये) दण्ड राशि भी ली जावेगी। जो शाला को वहन करनी होगी।

विशेष :– अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी का आवेदन –पत्र बिना पात्रता प्रमाण –पत्र के स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल पात्रता प्रमाण–पत्र परीक्षा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट (i) परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क के अलावा अग्रेषण अधिकारी को रु. 40 / – अग्रेषण शुल्क भी देना होगा।

(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नियुक्त निम्नांकित अग्रेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे तथा उन्हें परीक्षा भी जिला मुख्यालय पर नियुक्त संस्कृत परीक्षाओं के किसी भी परीक्षा केन्द्र पर देनी होगी। असाधारण परीक्षा शुल्क के अग्रेषण अधिकारी निम्नानुसार होंगे :

1.	अजमेर	राज. जवाहर उ.मा. विद्यालय, सिविल लाईन
2.	भीलवाड़ा	श्री महेश शि.स.उ.मा. विद्यालय
3.	नागौर	रा. सेठ कि. का उ.मा. विद्यालय
4.	टोंक	राज.उ.मा. विद्यालय
5.	जयपुर	राज. पौद्दार उ.मा. विद्यालय
6.	जयपुर	श्री म.दि. जैन उ.मा.वि.महावीर मार्ग सी.स्कीम अशोक नगर
7.	भरतपुर	सनातन धर्म उ.मा. विद्यालय
8.	धौलपुर	राज. महाराणा उ.मा. विद्यालय
9.	अलवर	सैनी उ.मा. विद्यालय
10.	सीकर	राज. श्री कल्याण उ.मा. विद्यालय
11.	दौसा	श्रीरामकरण जोशी उ.मा. विद्यालय
12.	कोटा	राज.बालिका (महारानी) उ.मा.वि.,रामपुरा
13.	बांरा	राज. उ.मा. विद्यालय
14.	बूंदी	राज. उ.मा. विद्यालय
18.	जोधपुर	राज. महात्मा गांधी उ.मा. विद्यालय
19.	जालौर	राज.उ.मा. विद्यालय
20.	जैसलमेर	राज.अ.श.सा.गोपा उ.मा. विद्यालय
21.	सिरोही	राज.उ.मा. विद्यालय
22.	पाली	राज. बांगड़ उ.मा. विद्यालय
23.	बाड़मेर	राज.उ.मा. विद्यालय
24.	उदयपुर	गुरू गो.सि.उ.मा. विद्यालय
25.	चित्तौड़गढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
26.	राजसमन्द	राज.उ.मा. विद्यालय
27.	डूंगरपुर	राज. महारावल उ.मा. विद्यालय
28.	बांसवाड़ा	राज.बा.उ.मा. विद्यालय
29.	चूरू	राज. बागला उ.मा. विद्यालय
30.	बीकानेर	राज. सार्दुल उ.मा. विद्यालय
31.	हनुमानगढ़	राज.उ.मा. विद्यालय

15. झालावाड राज.बा.उ.मा. विद्यालय
16. सवाईमाधोपुर राज.उ.मा. विद्यालय
17. करौली राज.उ.मा. विद्यालय
32. झुंझूनू राज.उ.मा. विद्यालय
33. श्रीगंगानगर सेठ गिरधारीलाल बि.उ.मा. विद्यालय
34. प्रतापगढ़ राज.उ.मा. विद्यालय

<u>परीक्षा तिथि</u>

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा गुरूवार 06 मार्च 2014 से प्रारम्भ होगी।

नोट :– उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन के लिए बोर्ड सक्षम होगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

1. **परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें –**

नियमों की पूर्ण जानकारी हेतु परीक्षार्थियों को सम्बंधित परीक्षा की विवरणिका देखना आवश्यक है इस अनुदेश पत्र में केवल मुख्य बातें ही दी गई है। इनके आधार पर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का कानूनी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

2. **आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें :–**

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेशार्थ नमूने के रिक्त आवेदन – पत्र बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से मिलेंगे। परीक्षार्थियों को अग्रेषण शुल्क रुपये 40/– तथा निर्धारित पूरा शुल्क अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराने के पश्चात ही आवेदन–पत्र दिया जायेगा। अतः आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसे किस श्रेणी में अथवा किन विषयों की परीक्षा देनी है, कौनसे विषय लेने हैं और उसके लिए कितना शुल्क उसे जमा कराना है। एक बार जमा कराया शुल्क किसी भी परिस्थिति में अग्रेषण अधिकारी द्वारा नहीं लौटाया जायेगा।

3. **आवेदन के लिए कौन पात्र है ?**

(i) जो इस बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा (अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण हो ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के एक वर्ष के अंतराल अर्थात परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष के पश्चात ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में बैठ सकेंगे।

(ii) जो इस बोर्ड की माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा (अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण हो ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष के अन्तराल के बाद वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रविष्ठ हो सकेंगे।

(iii) वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु सम्पूर्ण विषय लेकर प्रथम बार प्रविष्ट हो रहे परीक्षार्थी अथवा वरिष्ठ उपाध्याय/इसके समकक्ष परीक्षार्थी वर्ग 2 तथा वर्ग–3 के उन विषय/विषयों में जिसमें/जिनमें वह पहले उत्तीर्ण नहीं हुआ है, परीक्षा दे सकता है, परन्तु यदि किसी विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है तो स्वयंपाठी परीक्षार्थी को सम्बंधित विद्यालय के प्रधान का यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए निर्धारित प्रायोगिक कार्य को उस संस्था में पूरा कर लिया है। परीक्षार्थी को यह प्रमाण पत्र प्रायोगिक परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iv) गुरूकुल महाविद्यालय, हरिद्वार (उ.प्र.) द्वारा संचालित विद्यारत्न परीक्षा अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय सहित प्रत्येक विषय के न्यूनतम 33% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा एवं प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता 01 जुलाई 1993 से है।

(v) इस बोर्ड या अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवेशिका (अंग्रेजी सहित)/सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र एक वर्ष के अन्तराल के बाद तथा वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र स्वयंपाठी रूप से वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(vi) पूरक योग्य घोषित परीक्षार्थियों को मात्र पूरक परीक्षा का एक ही अवसर दिया जावेगा।

4. **अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदनकर्त्ताओं की पात्रता :**

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा 10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो निम्नांकित आधार पर प्राप्त किया जा सकता है –

(i) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो। अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त शालाओं में देखी जा सकती है।

(ii) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु कक्षा 10 में संबंधित बोर्ड से उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 12 में नियमित प्रवेश हेतु कक्षा 11 की गृह परीक्षा संबंधित बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(iii) यदि किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक है और फिर भी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसके कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिए जो देय होते हैं, के एक प्रतिशत अंको का लाभ सानुग्रह अंकों के रूप में प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक कुल विषयों के निर्धारित पूर्णांकों के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। इस प्रकार दिये गये सानुग्रह अंको का लाभ एक विषय या अधिक विषयों की

कमी को पूर्ण करने हेतु देय होगा। यदि सम्बंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय में सानुग्रह अंको का लाभ पहले ही परीक्षार्थी को दे रखा है, तब यह देखा जाएगा कि इस बोर्ड के 1 प्रतिशत सानुग्रह अंक देने के उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार परीक्षार्थी को कुल सानुग्रह अंकों का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियमानुसार परीक्षार्थी की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों के मामले में लागू माना जाएगा चाहे वहाँ सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं किंतु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को सानुग्रह अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को माध्यमिक (कक्षा 10) की मूल अंकतालिका, मूल प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) अथवा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन दस्तावेजों की फोटो प्रति भी संलग्न करनी होगी। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त प्रलेख संलग्न कर शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकेगा।

नोट :- पात्रता प्रमाण – पत्र कक्षा 10/प्रवेशिका परीक्षा की मूल अंकतालिका, प्रमाण–पत्र अथवा प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration certificate) तथा कक्षा 11 की मूल अंकतालिका के साथ निर्धारित तिथियों तक शुल्क जमा कराकर बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।

5. किन श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं ?

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा निम्न श्रेणियों में आयोजित की जाती है इन श्रेणियों में बैठने वाले परीक्षार्थियों को वर्ष 2013 हेतु निर्धारित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में बैठना होगा।

श्रेणी I सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी II सम्पूर्ण विषयों में उत्तीर्ण होकर श्रेणी सुधार अथवा पुनः प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। श्रेणी 2 व 6 में उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व निरंतर में केवल एक अवसर देय है। यह सुविधा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के छात्रों को नहीं दी गई है।

श्रेणी IV अतिरिक्त विषय/विषयों में प्रविष्ट होने/बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी VI सम्पूर्ण विषयों में उत्तीर्ण होकर अंक सुधार हेतु प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

विशेष :–

(i) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषयों में केवल इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(ii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषयों में केवल नई पद्धति (10+2) से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(iii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में निरन्तर में एक अवसर दिया जावेगा। अतिरिक्त विश/विषयों में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण ही वरिष्ठ उपाध्याय के विषय/विषयों का चयन कर 2013 की परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा।

(iv) श्रेणी II (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान नहीं की जावेगी।

6. आवेदन पत्र पूर्ति किस प्रकार की जाए :

(1) आवेदन पत्र :– (क) अपने व्यक्तिगत विवरण में स्वयं का, पिता का व माता का नाम स्पष्टतः हिन्दी व अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखें। माता व पिता दोनों का नाम लिखा जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश माता या पिता में से किसी एक का नाम नहीं लिखने की स्थिति में है, तो आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अग्रेषण अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करें जिसमें कारण का उल्लेख स्पष्टतः किया जाए। यदि माता – पिता दोनों का ही नाम लिखने की स्थिति में नहीं हो तो अनाथालय या अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार जैन साध्वियों द्वारा दीक्षा लेने के बाद माता – पिता के नाम के स्थान पर गुरू का नाम लिखा जा सकता है। इस हेतु दीक्षा लेने का स्वयं के समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण – पत्र देने होंगे। स्वयं, पिता और माता के नाम की वर्तनी प्रलेखों के आधार पर सही लिखें। सामान्यतः इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को अपना नाम, पिता का नाम का विवरण वही अंकित करना होगा जो उसने पूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित किया था।

(ख) जिस जिले के अग्रेषण अधिकारी से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा रहे हैं, उसी जिले के दो परीक्षा केन्द्र स्थानों का चयन वरीयता क्रम में लिखे। बोर्ड कार्यालय पहले स्थान पर परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। अन्यथा दूसरे स्थान पर अथवा बोर्ड की सुविधा पर आवंटित किया जा सकता है। केन्द्र स्थानों का कोड नम्बर आवेदन पत्र में अवश्य लिखें। इसकी जानकारी अग्रेषण अधिकारी से ले लें। परीक्षा केन्द्र स्थान का कोड कम्प्यूटर डाटा फार्म एवं आवेदन – पत्र में ध्यान पूर्वक भरे। कोड त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में गलत केन्द्र आवंटित होने की समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी स्वयं की होगी।

(ग) सैक्स कोड को पुरूष के लिए 01 तथा महिला के लिये 02 स्पष्टतः लिखें।

(घ) यदि परीक्षार्थी दृष्टिहीन, विकलांग, सूर्यमुखी, सैनिक, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांगता या मूक बधिर है तो इसका कोड भी आवेदन पत्र में यथा स्थान लिखें।

(ङ) आवेदन पत्र पर यथा स्थान अपना नवीनतम श्वेत श्याम आवक्ष चित्र चिपकाऐं और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर भी करें जिसे अग्रेषण अधिकारी भी सत्यापित करेंगे।

(च) अनुदेश के अनुसार जिस श्रेणी में प्रविष्ट होना चाहते हैं उस श्रेणी को (✔) चिन्हित करें। इसमें त्रुटि नहीं करें। कृपया अवगत हो कि उस ही विषय में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी जिस विषय में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हों यद्यपि विषय परीक्षा योजनानुसार मान्य है।

(छ) आवेदन पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना पता स्पष्टतः लिखें। परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।

(झ) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रलेख संलग्न करें –

(अ) प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका तथा उसकी शाला प्रधान द्वारा सत्यापित फोटो प्रति अथवा

(ब) वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सैकण्डरी अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

7. अग्रेषण अधिकारी को परीक्षार्थी की पहचान के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है –

आवेदन पत्र जमा कराते समय अभ्यर्थी को अग्रेषण अधिकारी को यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र उसी परीक्षार्थी का है, जिसका फोटो आवेदन पत्र पर लगा है। इसके लिए उसे निम्नांकित किसी एक स्थिति में होना आवश्यक है :–

(i) परीक्षार्थी अग्रेषण विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हो और अग्रेषण अधिकारी उसे पहचानते हों।

(ii) विद्यालय के कोई अध्यापक जो स्थाई सेवा में हो, उसकी पहचान प्रमाणित करें।

(iii) रु. 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना फोटो लगाकर शपथ पत्र जिसे ओथ कमिश्नर या नोटेरी पब्लिक सत्यापित करें। अतः आवेदन पत्र जमा करते समय उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ रखें।

8. आवेदन पत्र जमा कराना –

(i) अनुदेश –5 के अनुसार आवेदन पत्र की पूर्ति कर सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथियों में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र अधिकृत अग्रेषण अधिकारी से अग्रेषित कराना अनिवार्य है।

(ii) एक बार मात्र परीक्षा शुल्क जमा करा देने से परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं हो जाएगा। उसे आवेदन पत्र भी वापस निर्धारित तिथि में ही अग्रेषण अधिकारी को जमा कराना हैं। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में आवेदन पत्र जमा नहीं करा पाता है तो उसे किसी भी दशा में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। आवेदन पत्र भरकर वापस अग्रेषण अधिकारी को देते समय परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद भी ले जाये तथा आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अग्रेषण अधिकारी से रसीद के पीछे लेंगे, जिसे परीक्षार्थी सम्भाल कर रखें। इस प्रकार की पावती देने के लिए अग्रेषण अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं। अग्रेषण अधिकारी आवेदन पत्र जमा करते समय रसीद के पीछे पावती के हस्ताक्षर कर मुद्रा व तारीख लगायें।

(iii) आवेदन पत्र की पूर्ति के बाद परीक्षार्थी को निर्धारित अन्तिम तिथियों तक नियमानुसार इसी अग्रेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन – पत्र अग्रेषित कराकर अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराना होगा। असाधारण परीक्षा शुल्क की स्थिति में आने पर भी आवेदन पत्र वहीं जमा कराऐं जहां से लिया है। मुख पृष्ठ वाले आवक्ष चित्र के नीचे परीक्षार्थी व अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। आवेदन – पत्र जमा कराते समय यदि निर्धारित तिथियों के अनुसार कोई अतिरिक्त शुल्क परीक्षार्थी को देना है तो वह जमा कराना होगा। आवेदन पत्र में सफेद व काले आवक्ष चित्र नवीनतम तथा एक ही आकृति में होने चाहिए। जैन साधु/साध्वियों को आवेदन – पत्र पर आवक्ष चित्र लगाने से मुक्ति प्रदान की गई है।

(iv) भारतीय सेना (थल, जल व वायुसेना, सीमा सेना अथवा आर.ए.सी.) में कार्यरत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र सीधे बोर्ड को भेजने की सुविधा दी गई है। सेना अधिकारी ऐसे परीक्षार्थी के लिए प्रमाणित करेंगे कि आवेदक उसकी यूनिट या रैजीमेंट में नियुक्त है। जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते समय केन्द्रीय सुरक्षा बल में कार्य कर रहे हैं, उनको अपना आवेदन पत्र पुलिस अधिकारी जिसका पद डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट के पद से कम न हो, के द्वारा अग्रेषित करवा कर सीधा बोर्ड को भेजने की सुविधा है। शेष नियम अन्य स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान लागू होंगे। सैनिक परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद की फोटो स्टेट प्रतिलिपी आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेजना अनिवार्य है। इसके अभाव में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(v) यदि कोई परीक्षार्थी अपने आवेदन पत्र में असत्य विवरण अथवा फर्जी/झूठे प्रलेख संलग्न कर अथवा प्रलेखों में हेराफेरी करके परीक्षा में प्रवेश पाने का प्रयत्न करेगा तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि वह परीक्षा में प्रविष्ट हो गया है तो भी उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व परीक्षा शुल्क भी नहीं लौटाया जायेगा तथा दोष की गंभीरता के अनुसार दण्ड भी दिया जा सकेगा। फर्जी/झूठे प्रलेख प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी।

(vi) इस कार्यालय में पूछताछ करते समय परीक्षार्थी अपना पूरा विवरण यथा नाम, अग्रेषण अधिकारी का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम तथा विषय अवश्य लिखें। उक्त विवरण रहित पत्र का उत्तर देना संभव नहीं होगा। सैनिक परीक्षार्थी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय उक्त पूर्ण विवरण का पता अवश्य देना चाहिए।

<u>नोट</u> :- प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट्स को बोर्ड ने आवेदन पत्र बेचने अथवा अग्रेषित करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, अतः परीक्षार्थी को ऐसी संस्थाओं से उक्त कार्य हेतु सम्पर्क नहीं करना चाहिए। यदि किसी परीक्षार्थी के बारे में यह पाया गया कि उसने प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट्स के मार्फत आवेदन पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसे बोर्ड नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।

9. परीक्षा शुल्क से मुक्ति –

निम्नांकित परीक्षार्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर साधारण परीक्षा शुल्क के रूप में टोकन शुल्क रु. 45/– ही नकद जमा कराना होगा किन्तु साधारण परीक्षा शुल्क की तिथि के बाद देय अतिरिक्त शुल्क पूरा लिया जावेगा तथा ऐसे परीक्षार्थी जो केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन करते हैं उनसे भी पूरा शुल्क लिया जावेगा।

(1) दृष्टिहीन परीक्षार्थी (दृष्टिहीन होने की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ राजकीय चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(2) युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्री (पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(3) विकलांग परीक्षार्थी हेतु विकलांग परीक्षार्थी की परिभाषा निर्देशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिये निर्धारित की गई परिभाषा के अनुसार मानी जायेगी। ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांगो को निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

10. प्रवेश – पत्र एवं अंकतालिका प्राप्त करने की विधि :

(क) परीक्षार्थी को चाहिए कि वह परीक्षारम्भ के एक सप्ताह पूर्व सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें।

(ख) टी.सी. वापस नहीं की जायेगी। यदि परीक्षार्थी को इसकी आवश्यकता हो तो वह बोर्ड कार्यालय में रु. 50/– भेज कर प्राप्त कर सकता है।

(ग) जिन सैनिक परीक्षार्थियों, के आवेदन पत्र सैनिक अधिकारियों द्वारा अग्रेषित होकर प्राप्त होंगे उनके प्रवेश पत्र उनके आवेदन पत्र में लिखे स्थाई पते पर बोर्ड कार्यालय से सीधे भेज दिये जायेंगे। अतः परीक्षार्थी अपने स्थाई पते पर जानकारी करता रहे।

(घ) जिस परीक्षार्थी का आवेदन – पत्र किसी भी कारण से निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना संबंधित परीक्षार्थी एवं अग्रेषण अधिकारी को दे दी जायेगी।

(ड) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को उनके प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका तथा पूरक परीक्षा योग्य परीक्षार्थियों को अंकतालिकाएं उसी केन्द्र पर, जिस पर कि उन्होंने परीक्षा दी थी, परिणाम घोषित होने के पश्चात् भेज दी जाएगीं। अतः अंक तालिका प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों को स्वयं को केन्द्राधीक्षक के पास अपना प्रवेश पत्र लेकर उपस्थित होना चाहिए। सैनिक परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र व अंकतालिका उनके आवेदन पत्र में दिये गए पते पर बोर्ड कार्यालय द्वारा सीधी भिजवा दी जावेगी।

11. विषय/केन्द्र परिवर्तन :– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विशेष परिस्थितिवश यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्र अथवा विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार आवेदन कर सकता है :–

1. केन्द्र/श्रेणी परिवर्तन हेतु एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन कर सकता है। अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2013
2. केवल केन्द्र परिवर्तन हेतु दुगने परीक्षा शुल्क सहित (केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन/विद्यालय परिवर्तन/प्राकृतिक आपदा की स्थिती में।) अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2013
3. विषय/माध्यम परिवर्तन हेतु दुगने परीक्षा शुल्क सहित 30 नवम्बर के पश्चात् से परीक्षा प्रारम्भ तक।

(i) निःशक्त परीक्षार्थियों के केन्द्र / वर्ग / विषय परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क (नियमित / स्वयंपाठी के अनुरूप) प्राप्त कर अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।

1. 30 नवम्बर तक प्रति विषय परिवर्तन हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
3. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000 / – रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
4. केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क रुपये 2000 / – प्रति विषय लिया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना देनी होगी। अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट : 1. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उन विषयों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जा जावेगी।

12. कम्प्यूटर विज्ञान अतिरिक्त विषय :– वरिष्ठ उपाध्याय के स्वयंपाठी परीक्षार्थी इस विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकेंगे। अतिरिक्त विषय के रूप में इस विषय को लेने पर नियमानुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क रु. 500 / – और देना होगा।

13. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2014 की परीक्षा हेतु कोड लिस्ट :
वरिष्ठ उपाध्याय

(वर्ग –1) अनिवार्य विषय	**कोड**
1. हिन्दी	01
2. अंग्रेजी	02

(वर्ग –2) वैकल्पिक विषय	
1. संस्कृत वाड्मय (अनिवार्य)	94

(वर्ग –2) वैकल्पिक विषय	
1. वेद वर्ग (कोई एक)	
1. ऋग्वेद्	44
2. शुक्ल यजुर्वेद	45
3. कृष्ण यजुर्वेद	46
4. सामवेद	47
5. अथर्ववेद	48
2. दर्शन वर्ग (कोई एक)	
1. न्याय दर्शन	49
2. वेदान्त दर्शन	50
3. मीमांसा दर्शन	51
4. जैन दर्शन	52
5. निम्बार्क दर्शन	53
6. वल्लभ दर्शन	54
7. सामान्य दर्शन	55
3. शास्त्र वर्ग (कोई एक)	
1. व्याकरण शास्त्र	86
2. साहित्य शास्त्र	87
3. पुराणेतिहास	88
4. धर्मशास्त्र	89
5. ज्योतिष शास्त्र	90
6. सामुद्रिक शास्त्र	91
7. वास्तु विज्ञान	92
8. पौराहित्य शास्त्र	93

(वर्ग –2) वैकल्पिक विषय	**कोड**
1. हिन्दी साहित्य	21
2. इतिहास	13
3. राजनीति विज्ञान	11
4. अर्थशास्त्र	10
5. गृहविज्ञान	18
6. हिन्दी शीघ्रलिपि	32
7. अंग्रेजी शीघ्रलिपि	33
8. टंकणलिपि हिन्दी	34
9. टंकणलिपि अंग्रेजी	35
10. चित्रकला (कलावर्ग)	17
11. जीव विज्ञान	42
12. अंग्रेजी साहित्य	20
13. समाज शास्त्र	29
14. भूगोल	14
15. गणित	15
16. कम्प्यूटर विज्ञान (ऐच्छिक)	03
17. इन्फोरमेटिव प्रेक्टिस	04
18. मल्टीमिडिया वेबटेक	05

सैक्स	कोड	अन्य कोड	
पुरूष	01	दृष्टिहीन	01
महिला	02	विकलांग	02
जाति	**कोड**	सूर्यमुखी	03
सामान्य		सैनिक	04
अल्पसंख्यक	06	मूक बधिर	05
अनुसूचित जाति	07	सेरीब्रल पाल्सी	06
अनुसूचित जनजाति	08	पोलियो / लकवा / जन्मजात विकलांगता	07
पिछड़ी जाति	09	अधिगम अक्षमता (Learning Disability)	08
स्पेशल ओ.बी.सी.	10		
बी.पी.एल.	11		

नोट :– जीव विज्ञान, भूगोल स्वयंपाठी रूप से केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जो प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें ही प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।

जांच बिन्दु (Check Point)

(✔करें)

1. परीक्षा आवेदन-पत्र पर Black & White फोटो चिपका दिये गये है । ☐

   (नोट :- प्रमाण-पत्रों पर परीक्षार्थी का फोटो दिया जाता है अतः स्पष्ट एवं नवीन Black & White फोटो ही चिपकावें)

2. प्रवेशिका/माध्यमिक उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की मूल अंकतालिका तथा शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर दी है। ☐
3. परीक्षार्थी ने सही श्रेणी का चुनाव कर श्रेणी कोड़ यथा स्थान भर दिया है। ☐
4. अपना पूर्ण पता एवं फोन नम्बर यथा स्थान लिख दिया है। ☐
5. अन्य बोर्ड से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण परीक्षार्थी ने बोर्ड से पात्रता प्रमाण - पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया है। ☐
6. परीक्षार्थी ने अपने हस्ताक्षर यथा स्थान पर कर दिये हैं। ☐
7. अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से कक्षा 10 / 11 उत्तीर्ण है तो मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न है। ☐

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर